

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2026

क्रमांक एफ 1/13/0021/2026/18-5:- मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के निम्नलिखित उपयंत्री (सिविल) को आगामी आदेश तक सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान लेवल-12 रुपये 56100-177500 में पदोन्नत करते हुए वर्तमान पदस्थापना स्थल पर यथावत पदस्थ किया जाता है:-

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम
1.	श्री नवीन श्रीवास्तव
2.	श्री ए.पी. पाण्डेय
3.	श्री एस.के. श्रीवास्तव
4.	श्री कपिल देव भल्ला
5.	श्री संजय गोयल
6.	श्री राजेश महाजन
7.	श्री पंकज वैश्यपायन
8.	श्री सुनील माहेश्वरी
9.	श्री राजीव सक्सेना
10.	श्री दिनेश गोयल
11.	श्री राजेश जैन
12.	श्री आलोक पाण्डेय
13.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा
14.	श्री जितेन्द्र कोचर
15.	श्री हेमंत उपाध्याय
16.	श्री एच.एस.वेदी
17.	श्री राकेश कुमार नामदेव
18.	श्री शिवनंदन सहाय
19.	श्री रिजवान खान
20.	श्री जगदीश वर्मा
21.	श्री राजकरण त्रिपाठी
22.	श्री सतीशचन्द्र मुंगी
23.	श्री महेशचन्द्र रतनलाल गुप्ता

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम
24.	श्री प्रवीण कुमार दुबे
25.	श्री देवेन्द्र गुप्ता
26.	श्री सुनील शुक्ला
27.	श्री शैलेन्द्र जैन
28.	श्री राजेश श्रीवास्तव
29.	श्री मनोज माथुर
30.	श्री सत्येन्द्र सिंह तोमर
31.	श्री सालिगराम कोगे
32.	श्री जुवानसिंह थानसिंह भंवर
33.	श्री देवस्वरूप रविन्द्र कुमार आर्य
34.	श्री ठाकुर सिंह मानसिंह बघेल
35.	श्री विवेक रमेश वाड़िया
36.	श्री मनीष बी.एल. दोहरे
37.	श्री कैलाश कुमार हरनामदास चन्द्रवाल
38.	श्री भावेश पाटिल
39.	श्री अमित धुर्वे
40.	श्री प्रशांत साल्वे (प्रावधिक पदोन्नति। नियम 14(2) अनुसार

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

5/ उक्त पदोन्नति दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नत लोक सेवकों की वरिष्ठता दिनांक 31.12.2025 से निर्धारित की जायेगी।

6/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्वधीन होंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Shukla
20.7.26

(प्रमोद कुमार शुक्ला)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक एफ 1/13/0021/2026/18-5, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2026
प्रतिलिपि - निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण
6. संबंधित शासकीय सेवक की ओर पालनार्थ।

Shukla
20.7.26

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग